संख्या 4-1-2001/का-2-2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 25 जून, 2002

विषय :-पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने के लिए रोस्टर।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि लोक सेवा और पदों में आरक्षण देने के लिए उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 दिनांक 15 सितम्बर, 2001 से लागू करते हुए प्रख्यापित कर दिया गया है अतएव उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2001 के अधीन पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के लिए जारी किया गया रोस्टर सम्बन्धी शासनादेश संख्या 4/1/2001/का-2/2001, दिनांक 23-11-2001 को एतद्द्वारा विखण्डित किया जाता है।

2-चूंकि उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 दिनांक 15 सितम्बर, 2001 से प्रवर्तन में लाया गया है जिसके कारण उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 मूल रूप में प्रभावी हो गया है। पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। अतएव पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने के लिए 100 पदों का माडल रोस्टर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :-

1-अनुसूचित जाति
2-अनारक्षित
3-अनारक्षित
4-अनारक्षित
5-अनारक्षित
6-अनुसूचित जाति
7-अनारक्षित
8-अनारक्षित
9-अनारक्षित
10-अनारक्षित
11-अनुसूचित जाति
12-अनारक्षित
13-अनारक्षित
14-अनारक्षित
15-अनारक्षित
16-अनुसूचित जाति

17–अनाराक्षेत

18–अनारक्षित

19–अनारक्षित

20–अनारक्षित

21–अनुसूचित जाति

22–अनारक्षित

23–अनारक्षित

24–अनारक्षित

25–अनारक्षित

26–अनुसूचित जाति

27–अनारक्षित

28–अनारक्षित

29–अनारक्षित

30–अनारक्षित

31–अनुसूचित जाति

32–अनारक्षित

33–अनारक्षित

34–अनारक्षित

35–अनारक्षित

36–अनुसूचित जाति

37–अनारक्षित

38–अनारक्षित

39–अनारक्षित

40–अनारक्षित

41–अनुसूचित जाति

42–अनारक्षित

43–अनारक्षित

44–अनारक्षित

45–अनारक्षित

46–अनुसूचित जाति

47–अंनारक्षित

48–अनारक्षित

49–अनुसूचित जनजाति

50–अनारक्षित

51–अनुसूचित जाति

52–अनारक्षित

53–अनारक्षित

54–अनारक्षित

55–अनारक्षित

56–अनुसूचित जाति

57–अनारक्षित

58–अनारक्षित

59–अनारक्षित

60–अनारक्षित

61–अनुसूचित जाति

62–अनारक्षित

63–अनारक्षित

64–अनारक्षित

65–अनारक्षित

66–अनुसूचित जाति

67–अनारक्षित

68–अनारक्षित

69–अनारक्षित

70–अनारक्षित

71–अनुसूचित जाति

72–अनारक्षित

73–अनारक्षित

74–अनारक्षित

75–अनारक्षित

76–अनुसूचित जाति

77–अनारक्षित

78–अनारक्षित

79–अनारक्षित

80–अनारक्षित

81–अनुसूचित जाति

82–अनारक्षित

83–अनारक्षित

84–अनारक्षित

85–अनारक्षित

86–अनुसूचित जाति

87–अनारक्षित

88–अनारक्षित

89–अनारक्षित

90–अनारक्षित

91–अनुसूचित जाति

92–अनारक्षित

93–अनारक्षित

94–अनारक्षित

95–अनारक्षित

96–अनुसूचित जाति

97–अनारक्षित

98–अनुसूचित जनजाति

99–अनारक्षित

100–अनुसूचित जाति

3–उपर्युक्त माडल रोस्टर के अनुरूप प्रत्येक विभाग में लोक सेवा के प्रत्येक संवर्ग के कुल पदों की संख्या को ध्यान में रखकर रोस्टर तैयार करके आरक्षित बिन्दुओं को इंगित किया जायेगा तथा उसे वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक क्रियान्वित किया जायेगा, जब तक कि रोस्टर में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों का आरक्षण पूरा न हो जाए और तत्पश्चात् रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायेगा। इसके उपरान्त जब भी कोई पद रिक्त होगा, तो उसे उस श्रेणी के व्यक्ति से भरा जायेगा, जिस श्रेणी के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया हो।

4–यदि किसी भर्ती के वर्ष में किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्ति को अग्रनीत किया जायेगा और उसे उसी वर्ष में या पश्चात्वर्ती वर्ष में या भर्ती के वर्षों में पृथक वर्ग की रिक्ति के रूप में विशेष भर्ती द्वारा भरा जायेगा और किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसी वर्ग की रिक्ति की गणना भर्ती के उस वर्ष की रिक्तियों के साथ, जिसमें वह भरी जा रही हो, उस वर्ष की कुल रिक्तियों के पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा के अवधारण के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

5–किसी संवर्ग या वर्ग में एक ही पद हो तो उस पर आरक्षण नहीं होगा। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेन्द्र भौनवाल,

सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा० नियुक्ति (6)–28-5-2007–(319)–3,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।